भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
भूमि एवं विकास कार्यालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली

सं. 24(735)/09/सीडीएन/167 दिनांकः 29/5/09

कार्यालय आदेश सं. 5/2009

विषयः- 'वसीयत' के आधार पर प्रतिस्थापन

पट्टाधारक द्वारा 'वसीयत' के आधार पर प्रतिस्थापन की मौजूदा नीति के अनुसार 'वसीयत' की वास्तविकता के निर्धारण के लिए मृत पट्टाधारक के सभी वैध उत्तराधिकारियों से अनापत्ति शपथपत्र देना अपेक्षित है। यदि यह संभव नहीं है तो लाभार्थियों को सक्षम कानूनी प्राधिकारी से 'वसीयत' को प्रमाणित (प्रोबेट) कराने के लिए कहा जाता है। यदि प्रमाणित इच्छापत्र की प्रमाणित प्रति जमा की जाती है तो शपथपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज जमा करना अपेक्षित नहीं है। अब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने परिवार के अन्य सभी सदस्यों या वैध उत्तराधिकारियों से एनओसी देने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया है।

विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श और न्यायिक घोषणाओं के मद्देनजर इस मामले की जांच की गई है। विधि मंत्रालय ने विचार व्यक्त किया है कि प्रमाणित इच्छापत्र का मतलब है वसीयत की प्रति जो सक्षम न्यायालय के मोहर के तहत प्रमाणित है और वसीयतकर्ता के मृतलेख प्रवर्तक को संपदा के प्रशासन की अनुमति है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणित इच्छापत्र 'वसीयत' की वैधता का निर्णायक साक्ष्य है जब तक कि इसका प्रतिसंहरण नहीं किया जाता है और प्रमाणित इच्छापत्र के प्रतिसंहरण की कार्यवाही को छोड़कर इसे चुनौती देने के लिए कोई साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मृतलेख प्रमाण प्रदान करना 'वसीयत' की वास्तविकता का निर्धारण और निर्वाहक को संपदा का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्रदान करता है। तदनुसार यह महसूस किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रदत्त मृतलेख प्रमाण लेकर आता है तो प्रत्येक विशिष्ट मामले की योग्यता के आधार पर निर्भर करते हुए अधिकार के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया में परिवार के अन्य सदस्यों या वैध उत्त्राधिकारियों से 'एनओसी'

और मृत्यु प्रमाणपत्र आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई मृतलेख प्रमाण नहीं मांगा जाता है तो लाभार्थी को परिवार के अन्य सभी सदस्यों या वैध उत्तराधिकारियों से एनओसी जमा करना है क्योंकि परिवार में कोई सदस्य नहीं है।

अतः अब यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक मामले की विशिष्टता पर निर्भर करते हुए 'वसीयत' के मृतलेख प्रमाण के आधार पर जहां प्रतिस्थापन किया जाना है उन मामलों में अन्य वैध उत्तराधिकारियों से एनओसी की मांग करने की अपेक्षा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

भवदीय,

(सुरेंद्र सिंह)
उप भूमि एवं विकास अधिकारी
दूरभाष सं. 23061325

प्रतिलिपिः-

1. सभी अधिकारी
2. सभी अनुभाग
3. सीडीएन की गार्ड फाइल